

राजस्थान - सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)

(राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरंस एजेंसी)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) - 302005

WEBSITE: <https://www.rghs.rajasthan.gov.in>

Phone No.: 0141-2740252

email: PD.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक: F.18(2)/RGHS/27/ABHA/1042

दिनांक 29/1/2026

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
सम्बद्ध समस्त अस्पताल, राजस्थान।

विषय:- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना से जुड़े लाभार्थियों की अस्पतालों द्वारा आभा आई डी बनाने
/अद्यतन करने एवं HFR, HPR ID बनाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की आभा आई डी बनाये जाने एवं पूर्व में निर्मित आभा आई डी के अपडेट/वेरिफाई के जाने योजना में पंजीकृत समस्त अस्पतालों की HFR ID/HPR ID बनाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में यह पाया गया है कि अस्पतालों द्वारा उक्त निर्देशों की अनुपालना अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। अतः सभी अस्पतालों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि RGHS योजना के अन्तर्गत उपचार हेतु आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की आभा आई डी अनिवार्य रूप से बनायी जाये अथवा पूर्व निर्मित आभा आई डी अपडेट/वेरिफाई किया जाये तथा समस्त अस्पतालों की HFR ID एवं समस्त प्रोफेशनलस की HPR ID बनाया जाना सुनिश्चित करें जिससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

उक्त निर्देशों की अविलम्ब अनुपालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डॉ निधि पटेल आई.ए.एस.)

परियोजना निदेशक (RGHS)

वित्त भवन, जयपुर

1042/29.01.2026

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर।
2. निजी सहायक, MD NHM & SMD ABDM
3. OSD/ACP-RGHS अस्पतालों से पालना कराया जाना सुनिश्चित करें एवं नियमित Follow_up लें।
4. रक्षित पत्रावली।